भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न सं. *172

जिसका उत्तर 31.07.2025 को दिया जाना है

कार पूलिंग को प्रोत्साहित करना

*172. डॉ. डी. रवि कुमार:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार कार पूलिंग को परिवहन के लिए एक कुशल और सतत वैकल्पिक समाधान मानती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार को इससे होने वाले पर्यावरणीय लाभों की जानकारी है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार वाणिज्यिक राइड-शेयरिंग सेवाओं और गैर-वाणिज्यिक कार पूलिंग मॉडलों के बीच महत्वपूर्ण अंतरों को स्वीकार करती है जहां निजी व्यक्तियों के बीच लाभ के उद्देश्य के बिना लागत-भागीदारी होती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशा-निर्देश, 2020 का खंड 15, जो वर्तमान में एग्रीगेटर प्रचालनों को शासित करता है, वाणिज्यिक राइड-शेयरिंग और गैर-वाणिज्यिक कार पूलिंग कार्यकलापों दोनों पर समान रूप से लागू होता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार कार पूलिंग क्षेत्र के लिए एक पृथक विनियामक ढांचे अथवा दिशानिर्देशों पर विचार कर रही है और राज्यों में इसके कानूनी, सुरक्षित और स्केलेबल प्रचालन को सक्षम बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ड.) विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'कार पूलिंग को प्रोत्साहित करना' के संबंध में डॉ. डी. रवि कुमार द्वारा पूछे गए दिनांक 31.07.2025 के लोक सभा तारांकित प्रश्न सं. 172 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) सरकार शहरी यातायात की भीड़ को कम करने, परिवहन दक्षता बढ़ाने और पर्यावरणीय प्रभाव को न्यूनतम करने के अपने व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में दीर्घकालिक और कुशल आवाजाही (मोबिलिटी) समाधानों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। इस संबंध में विभिन्न विकल्पों में से एक साझा मोबिलिटी है। सरकार इसके संभावित संबद्ध पर्यावरणीय लाभों से भी अवगत है, जिससे वाहनों से होने वाले उत्सर्जन में कमी, ईंधन की खपत में कमी और मौजूदा परिवहन बुनियादी ढांचे का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

(ग) से (ङ) मोटर वाहन एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2020 के खंड 15 में एग्रीगेटर्स द्वारा गैर-परिवहन वाहनों के एग्रीगेशन का प्रावधान है, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा निषिद्ध न किया जाए। नए दिशानिर्देश (मोटर वाहन एग्रीगेटर्स दिशानिर्देश, 2025) मोटर वाहन एग्रीगेटर्स परितंत्र (ईकोसिस्टम) में विकास के साथ नियामक रूपरेखा को अद्यतित रखने के लिए जारी किए गए हैं।

वाणिज्यिक राइड शेयरिंग सरकार द्वारा जारी एग्रीगेटर दिशानिर्देशों के अंतर्गत आता है। हालांकि, गैर-वाणिज्यिक राइड शेयरिंग सरकार द्वारा न तो प्रतिबंधित है और न ही विनियमित है।

*****